छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा : रायपुर
Phone No- 0771-2422425, Email Id – secycgbse@gmail.com v.cgbse.nic.in

क्रमाँक / 1333 / गोपनीय / 2024 रायपुर, दिनाँक 23/8/24

# –: :आदेश : :–

छत्तीसगढ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी परीक्षा वर्ष 2014 से 2022 (वर्ष 2015 एवं 2021 को छोड़कर) तक जिन मूल्यांकनकर्ताओं (शिक्षकों) द्वारा मूल्यांकन / पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन एवं फाईल / काउंटर फाईल में अंकों की प्रविष्टि के दौरान कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरती गयी है, उन्हें गुण–दोष के आधार पर मण्डल की परीक्षा एवं परीक्षाफल समिति की संयुक्त बैठक दिनॉक 10.08.2023 से 16.08.2023 तक कार्यवाही विवरण विषय क्रमॉक–07 पर समिति द्वारा तीन श्रेणियों में शास्ति अधिरोपित कर दण्डित किये जाने हेतु लिये गये निर्णयानुसार कार्यालयीन पत्र क्रमॉक / 1495 / गोपनीय / 2023 रायपुर, दिनॉक 12.09.2023 के द्वारा कार्यवाही किया गया था।

परीक्षा वर्ष 2023 के मूल्यांकन / पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन कार्य एवं फाईल / काउंटर फाईल में अंकों की प्रविष्टि करने में त्रुटि / लापरवाही बरतने वाले मूल्यांकनकर्ताओं (शिक्षकों) के विरूध्द मण्डल की परीक्षा एवं परीक्षाफल समिति की संयुक्त बैठक दिनॉक 18.07.2024 एवं 19.07.2024 के कार्यवाही विवरण विषय क्रमॉक–05 पर समिति द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

1. <u>20 से 40 अंकों की वृद्धि वाले प्रकरणों में</u> :– मण्डल के समस्त पारिश्रमिक कार्य से 03 वर्ष के लिये वंचित एवं संबंधितों को स्पष्टीकरण जारी करना तथा 01 वार्षिक वेतन वृध्दि असंचयी प्रभाव से रोकने की अनुशंसा हेतु शासन को प्रस्ताव भेजना।
2. <u>41 से 49 अंको की वृद्धि वाले प्रकरणों में</u> :– मण्डल के समस्त पारिश्रमिक कार्य से 05 वर्ष के लिये वंचित एवं संबंधितों को स्पष्टीकरण जारी करना तथा 01 वार्षिक वेतन वृध्दि असंचयी प्रभाव से रोकने की अनुशंसा हेतु शासन को प्रस्ताव भेजना।
3. <u>50 (या उससे) से अधिक अंको की वृद्धि वाले प्रकरणों में</u> :– मण्डल के समस्त पारिश्रमिक कार्य से 05 वर्ष के लिये वंचित एवं संबंधितों को स्पष्टीकरण जारी करना तथा 01 वार्षिक वेतन वृध्दि असंचयी प्रभाव से रोकने की अनुशंसा हेतु शासन को प्रस्ताव भेजना।

**अतः उपरोक्तानुसार समिति में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।**

23/8/24
सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक / 1334 / गोपनीय / 2024 रायपुर, दिनांक 23/8/24

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष / सचिव के निज सहायक, छ0ग0मा0शि0मण्डल, रायपुर को सूचनार्थ।
2. सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
4. समस्त कलेक्टर, (मण्डल परीक्षा प्रभाग) छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
5. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी, छ0ग0मा0शि0मण्डल, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
6. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, शिक्षा संभाग रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / अंबिकापुर / बस्तर (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
8. संभागीय अधिकारी, छ0ग0मा0शि0मण्डल, राजनांदगांव / बिलासपुर / जगदलपुर / अंबिकापुर (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
9. सहायक सचिव, परीक्षा / डाटा कक्ष, छ0ग0मा0शि0मण्डल, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
10. प्रोगामर, डाटा कक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

23/8/24
सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर